OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर

प्रेस नोटः-

"आपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 10,000 रू0 अर्थदण्ड एवं 02 अभियुक्तो को 07 वर्ष कारावास व 5,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरणः-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.01.2015 को अभियुक्तगणो द्वारा खेत की मेढ़ को लेकर एक राय होकर गाली गलौच कर लाठी डन्डो से मारपीट करना जिससे वादी के भाई की मृत्यु होने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0- 06/15 धारा- 148, 149, 504, 307, 302 भादवि बनाम 1.फईम 2.सईम पुत्रगण फकीरा, 3.सरवरी पत्नी फकीरा नि0गण मौ0 कानूनगौयान कस्बा व थाना शाहबाद, जनपद रामपुर 4.अकबर, 5.रूस्तम पुत्रगण करीमा नि.गण ग्राम पीपला की मढईया थाना पटवाई, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक-06.04.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर द्वारा अभियुक्त फईम उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व 10,000 रू0 अर्थदण्ड एवं एवं अभियुक्त सईम व अकबर उपरोक्त को 07 वर्ष कारावास व 5,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त रूस्तम, सरवरी उपरोक्त को आरोपो में दोषमुक्त किया गया।

सजा का विवरणः-

अभियुक्त फईम पुत्र फकीरा उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व 10,000 रू0 अर्थदण्ड एवं एवं अभियुक्त सईम पुत्र फकीरा, अकबर पुत्र करीमा को 07 वर्ष कारावास व 5,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।